



डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
मा. मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड

किसान भाइयों के लिये खुशखबरी पशुधन बीमा योजना

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें



श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मा. कृषि एवं पशुपालन मंत्री
उत्तराखण्ड

योजना की विशेषताएं

- योजना के अन्तर्गत किसी भी पशुपालक के अधिकतम दो स्वस्थ दुधारू पशु(गाय/भैंस), जिनका दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यांत से अधिक हो, का बीमा किया जाता है।
- पशुधन बीमा हेतु प्रीमियम दरें पशु के बाजार मूल्य का 01 वर्ष एवं 03 वर्ष हेतु क्रमशः 3.08% एवं 8.71% है।
- बीमा टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा किया जा रहा है।
- बीमा प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान, भारत सरकार की अनुदानराशि से तथा शेष 50 प्रतिशत बीमा प्रीमियम का भुगतान पशुपालक को स्वयं करना होगा।

योजना:- देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद में प्रारम्भ

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने जनपद/क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ अथवा यू.एल.डी.बी. कार्यालय (233/1, वसन्त विहार, देहरादून, दूरभाष - 0135-2761725) या बीमा कम्पनी टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 सिटी सेन्टर, प्रथम तल, 56, राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष - 0135- 6454229, 6450304/06 मो0 9695055946, कुमाऊँ मण्डल: 9411416722, गढ़वाल मण्डल: 9761755005

से सम्पर्क कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।



उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड
पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड



गाय भैंस का बीमा हो, हो आर्थिक समृद्धि का विस्तार, आधा प्रीमियम आप भरें, भरे आधा सरकार